प्रथम सूचना रिपोर्ट
( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 68/2023 दिनांक 24/3/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7 पी.सी. एक्ट (संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 440 समय 5:15 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 23.03.2023 समय 02.27 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 22.03.2023 समय 05.52 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक : – लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 340 किलोमीटर
(2) पता – आरोपी का निजी क्लिनिक मय आवास, मंडी चौराहा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
.............................. बीट संख्या .............................. जरायमदेही संख्या .......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .................... जिला ......................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : – वसीम अकरम
(2) पिता का नाम : – श्री याकूब खां
(3) आयु : – 26 साल
(4) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या........ जारी होने की तिथि .......... जारी होने की जगह .................
(6) व्यवसाय : – मजदूरी
(7) पता : निवासी नया बाजार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. डॉ. रितेश कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जी जैन जाति जैन उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर 04/ख–03, सेक्टर नम्बर 11, उदयपुर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसुती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )

| क्रम. सं. | सम्पत्ति का प्रकार | अनुमानित मूल्य | वस्तु स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय चलन मुद्रा | 4500 रूपये | आरोपी डॉ. रितेश कुमार जैन |

वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी वसीम अकरम की पत्नि की डिलेवरी ऑपरेशन द्वारा की गई थी जिसकी एवज में दिनांक 22.03.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 1000 रूपये प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 4500 दिनांक 23.03.2023 लेने हेतु सहमत होना पाया गया था जिस पर दिनांक 23.03.2023 को अपनी मांग अनुसार 4500 रूपये की रिश्वत राशि अपने हाथों मे ग्रहण करने के उपरान्त अपने पर्स में में रखी जिस पर उक्त रिश्वत राशि को दौराने कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बरामद करने के उपरान्त आरोपी डॉ. रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ को रंगे गिरफ्तार किया गया ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 4500 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या ( अगर हो तो )
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

## कार्यवाही पुलिस,
## कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ

दिनांक 22.03.2023 को समय करीब 05.52 पी.एम. एम. पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिहं सांदू भ्रनिब्यूरो चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर 99280–05800 पर वसीम पुत्र याकुब खान निवासी गायरी मोहल्ला नया बाजार निम्बाहेडा के मोबाईल नम्बर 8769900746 से फोन आया और उसने बताया की मेरी पत्नि राबिया के गर्भ का समय पूर्ण होने पर आज दिन में 10–11 बजे सरकारी अस्तपताल निम्बाहैडा मे भर्ती करवाया, आवश्यकता नही होने के बावजूद भी डॉ रितेश जैन ने ऑपरेशन कर दिया है जिससे मेरी पत्नि के बेटा जन्मा है अब डॉक्टर ने दिन में 3 बजे मेरे को घर पर आकर मिलने के लिये कहा है और ऑपरेशन का खर्चा पानी मांग रहा है क्या सरकारी अस्पताल में खर्चा पानी देना पडता है । इस पर समय करीब 06.30 पी.एम. पर परिवादी की वार्ता पर मामला रिश्वत लेन देन का प्रतीत होता है कानि0 श्री मान सिहं बैल्ट नम्बर 571 को मांग सत्यापन के नियमानुसार सरकारी टेप रिकॉर्डर सुपूर्द कर निम्बाहेडा रवाना किया । इस पर समय 08.25 पी.एम. पर श्री मान सिहं कानि0 ने मुझे जरिये फोन अवगत कराया की परिवादी की आरोपी से वार्ता हो गई है वार्ता आरोपी के घर पर रिकार्ड की गई आरोपी ने बताया की उससे एक हजार रूपये बतोर रिश्वत के ले लिये तथा 4500 रूपये कल देने के लिये डॉक्टर ने परिवादी को बोला है इस पर मान सिंह को दिनांक 23.03.2023 को प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में आने के लिये निर्देशित किया गया ।

दिनांक 23.03.2023 को समय करीब 09.30 ए.एम. पर कानि0 मान सिहं ने कल दिनांक 22.03.2023 को आरोपी डॉ. रितेश तथा परिवादी श्री वसीम के मध्य 08.00 पी.एम से 8.15 पी.एम के मध्य हुई वार्ता का रिकॉर्डर पेश किया डिजीटल टेप रिकॉर्ड को सुना गया तो, आरोपी द्वारा एक हजार रूपये बतौर रिश्वत ग्रहण करना एंव 4500 रूपये बतौर रिश्वत और मांगना पाया गया जिससे मामला पी.सी. एक्ट का बनता है । इसके उपरान्त समय करीब 10.12 पी.एम. पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को जरिये फोन कर कल हुई समस्त वार्ता के बारे मे पूछा गया एंव अन्य समस्त बिन्दुओ जैसे रंजिश, उधारी बाबत पूछा गया तो परिवादी बोला की मैं तो गरीब आदमी हूं इन चिजों से परिवादी ने कहा की अभी मेरे पास रूपयो की व्यवस्था नही हुई है जो शेष रिश्वत मे देनी है तथा उसने डर भी जाहिर किया की कहीं मेरी पत्नि बेटे को कोई नुकसान नही पंहुचा देवें, जिस पर उसे आश्वस्त किया गया । परिवादी को रिश्वत मे दिये जाने वाले शेष 4500 रूपये की व्यवस्था होते ही बताने बाबत समझाया गया । इसके उपरान्त समय करीब 10.50 पी.एम. पर प्रकरण के समस्त हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो उदयपुर रैंज उदयपुर को अवगत कराया गया । इसके उपरान्त समय करीब 11.00 ए.एम. पर अग्रीम कार्यवाही हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान भ्रनिब्यूरो चित्तौडगढ को निर्देशित किया गया जिस पर समय करीब 11.10. ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री सुनिल कुमार कानि0 नम्बर 264 को दो स्वतन्त्र गवाहन गोपनीय कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु तलब कर लाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ के नाम तेहरीर दी जाकर रवाना किया । इसके उपरान्त समय करीब 11.30 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहन श्री राजकुमार बैरवा पुत्र श्री धनराज जी बेरवा उम्र 31 वर्ष जाति बेरवा निवासी मकान नम्बर 34 सी पुलिस थाना सदर, पंचवटी सेंती चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ एव श्री कमलेश सहलोत पुत्र श्री हेरी लाल जी सहलोत उम्र 43 वर्ष जाति जैन निवासी मकान नम्बर 1 सोम नगर विस्तार मधुवन सेंती पुलिस थाना सदर जिला चित्तौडगढ हाल सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ ब्यूरो कार्यालय पर श्री सुनील कुमार कानि0 के साथ उपस्थित आये जिन्हे ब्यूरो के कार्यालय कक्ष में बैठाया गया । तत्पश्चात् समय करीब 11.50 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहन श्री राजकुमार बैरवा, वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ एवं श्री कमलेश सहलोत, सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ को मन् पुलिस निरीक्षक ने बताया कि परिवादी श्री वसीम अकरम ने ब्यूरो कार्यालय में शिकायत की है कि उसकी पत्नि श्रीमती राबिया की सरकारी हॉस्पीटल निम्बाहेडा में डिलेवरी हुई है जिसमें नॉर्मल डिलेवरी होने के उपरान्त भी डॉ. साहब श्री रितेश कुमार जैन ने 1000 रूपये सत्यापन के दौरान प्राप्त कर लिये है और आज दिनांक 23.03.2023 को 4500 रूपये की रिश्वत राशि लेकर बुलाया है जिस पर हर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया गया तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्ठि की । मन् पुलिस निरीक्षक ने यह भी बताया कि परिवादी श्री वसीम अकरम रिश्वत राशि 4500 के साथ निम्बाहेडा में ही उपस्थित मिलेगा जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने ब्यूरो टीम के साथ निम्बाहेडा चलने की सहमति प्रदान की । इसके उपरान्त समय करीब 12.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री श्याम लाल हैड कानि0 को ट्रेप

कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ट्रेप बॉक्स व उससे सम्बन्धित सामग्री को तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जिस पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 ने बताया कि ट्रेप बॉक्स व उससे सम्बन्धित सामग्री व्यवस्थित होकर ब्यूरो टीम से श्री खालिद हुसैन कानि0 श्री सुनील कुमार कानि0, श्री मान सिंह कानि0 एवं श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 भी उपस्थित है जिनका स्वतन्त्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया गया तथा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि को श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 को अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत देकर सुपुर्द की । मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निम्बाहेडा हेतु मय टीम के रवाना हेतु निर्देश प्राप्त किये । इस पर समय करीब 12.40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय जाप्ता श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री मानसिहं कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0, श्रीमती आशा महिला कानि0 मय स्वतन्त्र गवाहन श्री राजकुमार, श्री कमलेश सहलोत मय प्राईवेट वाहन के निम्बाहेडा की और रवाना हुये व श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना निम्बाहेडा किया गया जिस पर समय 01.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय जाप्ता श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री मानसिहं कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0, श्रीमती आशा महिला कानि0 मय स्वतन्त्र गवाहन श्री राजकुमार, श्री कमलेश सहलोत मय प्राईवेट वाहन एंव व श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0 को प्राईवेट मोटरसाईकिल के निम्बाहैडा बाईपास वंसधुरा पार्क के पास पहुंच गाडी को साईड में खड़ा कर उपस्थित रहे परिवादी श्री वसीम अकरम से समय करीब 01.20 पी.एम पर श्री मान सिंह कानि0 ने जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी श्री वसीम अकरम ने निम्बाहैडा बाईपास वंसधुरा पार्क के पास पहूंच कर बताया कि रिश्वत राशि 4500 रूपये की व्यवस्था हो गई है और मेरी जेब में रखी हुई है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री वसीम अकरम का स्वतन्त्र गवाहान से परिचय करवाया और परिवादी श्री वसीम अकरम ने अपनी लिखित रिपोर्ट भी पेश की जिसको दोनो स्वतन्त्र गवाहान को पढकर सुनाई व दिखाई गई । जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने पुनः अपनी-अपनी सहमति प्रदान करते हुये हस्ताक्षर किये ।

इसके उपरान्त समय करीब 01.30 पी.एम.उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री वसीम अकरम से डॉ. रितेश कुमार जैन, वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसुती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री वसीम अकरम ने अपने पास से 500-500 रूपये को 09 नोट कुल 4500 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 1 CU 799084 |
| 2 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 7 BS 076149 |
| 3 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 5 UH 053859 |
| 4 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 5 CT 978886 |
| 5 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 0 PE 431431 |
| 6 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 3 MA 847984 |
| 7 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 3 MA 847983 |
| 8 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 3 MA 847982 |
| 9 | एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी | 3 MA 847981 |

परिवादी श्री वसीम अकरम द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्रीमती आशा महिला कानि0 को अपने पास रखे फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी में से फिनोफ्थलीन पाउडर निकालकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री वसीम अकरम की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये । श्री श्याम लाल हैड कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमती आशा महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया । इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती आशा महिला कानि0 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर

की शीशी पुनः अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान प्राईवेट वाहन में ही रहने हेतु हिदायत दी गई । इसके उपरान्त उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए । यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मोबाईल से मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी श्री वसीम अकरम को मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मान सिंह कानि0 के मोबाईल नम्बर भी देते हुए परिवादी श्री वसीम अकरम को समझाईश की गई कि मौका मिलने पर श्री मान सिंह कानि0 के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें । श्री श्याम लाल हैड कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया । तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री वसीम अकरम को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 के दोनो हाथों को साफ–पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान वाहन में ही रहने की हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई । इसके उपरान्त समय करीब 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री वसीम अकरम को श्री मानसिहं कानि0 के साथ मय टेप रिकार्डर के परिवादी की मोटरसाईकिल से बाद हिदायत के रवाना किया गया मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0 मय स्वतन्त्र गवाहन प्राईवेट वाहन के परिवादी के पिछे पिछे मण्डी चोराहा की तरफ आरोपी के निजी क्लनीक (निवास) कि ओर रवाना हुये। श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 को प्राईवेट वाहन में ही रहने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त समय करीब 02.21 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा मण्डी चोराहा निम्बाहेडा पहुंचे जहां पर प्राईवेट वाहन टावेरा एवं मोटर साईकिल को रूकवाकर वाहनों को साईड में खडा करवाया गया तथा परिवादी श्री वसीम अकरम को आवश्यक हिदायत देकर श्री मानसिहं कानि0 ने मय डिजीटल टेप रिकार्डर के आरोपी के निजी क्लनीक (निवास) की ओर रवाना किया । मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहन मण्डी चोराहा के आस पास अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे मिस कॉल का इन्तजार करने लगे।

इसके उपरान्त समय करीब 02.27 पी.एम. पर परिवादी वसीम अकरम ने आरोपी के निजी क्लनीक (निवास) के बाहर गेट पर खडे होकर निर्धारित गोपनीय ईशारा मिस कॉल का किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों के तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने बताया की मेरे से आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन ने अभी अभी 4500 रूपये रिश्वत राशि ली है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहन के परिवादी के साथ साथ आरोपी के निजी क्लनीक (निवास) पर पंहुचे जंहा एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ मिला जिसको परिवादी ने बताया की यही डॉ रितेश कुमार जैन है जिन्होने मेरे से 4500 रिश्वत राशि ली है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व जाप्ता का परिचय दिया और परिवादी श्री वसीम अकरम ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुए अपने गन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डॉ रितेश कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जी जैन जाति जैन उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04/ख –03 सेक्टर नम्बर 11 उदयपुर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ होना बताया । इसके उपरान्त डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ से परिवादी श्री वसीम अकरम से 4500 रूपये रिश्वत राशि लेने बाबत् पूछा तो वह घबरा गया तथा पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि मेने कोई रिश्वत राशि नही ली है जिस पर स्वतन्त्र गवाहन श्री कमलेश सहलोत से तलाशी लीवाई गई तो आरोपी के पर्स से रिश्वत राशि के 4500 रूपये बरामद हुये जिस पर आरोपी से पुछा गया तो आरोपी ने बताया की परिवादी श्री वसीम अकरम खूद मेरे पास आया था और उसने यह राशि देकर चला गया था जिस

पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी से पुछा की 4500 रूपये रिश्वत राशि आपके पर्स से मिली है जिस पर आरोपी ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया और पुछने पर बताया की सेनेट्री पेड के बदले मैनें यह राशि ली है । इसके उपरान्त समय करीब 02.35 पी.एम पर दर्ज रहे कि परिवादी वसीम अकरम ने आरोपी के निजी क्लनीक (निवास) के बाहर गेट पर खडे होकर निर्धारित गोपनीय ईशारा मिस कॉल का किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों के तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने बताया की मेरे से आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन ने अभी अभी 4500 रूपये रिश्वत राशि ली है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहन के परिवादी के साथ साथ आरोपी के निजी क्लनीक (निवास) पर पंहुचे जंहा एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ मिला जिसको परिवादी ने बताया की यही डॉ रितेश कुमार जैन है जिन्होने मेरे से 4500 रिश्वत राशि ली है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व जाप्ता का परिचय दिया और परिवादी श्री वसीम अकरम ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुए अपने मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डॉ रितेश कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जी जैन जाति जैन उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04/ख –03 सेक्टर नम्बर 11 उदयपुर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ होना बताया । इसके उपरान्त डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ से परिवादी श्री वसीम अकरम से 4500 रूपये रिश्वत राशि लेने बाबत् पूछा तो वह घबरा गया तथा पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि मेने कोई रिश्वत राशि नही ली है जिस पर स्वतन्त्र गवाहन श्री कमलेश सहलोत से तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पर्स से रिश्वत राशि के 4500 रूपये बरामद हुये जिस पर आरोपी से पुछा गया तो आरोपी ने बताया की परिवादी श्री वसीम अकरम खूद मेरे पास आया था और उसने यह राशि मुझे देकर गया था। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी से पुछा की 4500 रूपये रिश्वत राशि आपके पर्स से मिली है जिस पर आरोपी ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया और पुछने पर बताया की सेनेट्री पेड के बदले मेने यह राशि ली है जबकी सेनेट्री पेड निशुल्क दिया जाता है। जिस पर पर्स में मिले 500–500 रूपये को पूर्व में बनी हुई फर्द पेशकशी से नोटों के नम्बरों से मिलान किया तो हुबहु होना पाया गया जिस पर उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाने के पश्चात् गवाह श्री कमलेश सहलोत से आरोपी श्री रितेश कुमार जैन की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पर्स से 4500 मिले जिसे वजह सबुत होने से ब्यूरो कब्जे लिया गया। इसके उपरान्त आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने से नियमानुसार आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिस पर श्री श्याम लाल हैड कानि० द्वारा दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर दोनो आरोपीगण, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर दोनो आरोपीगण, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 4500 रूपये को एक सफेद कागज मे सिल कर दोनो आरोपीगण, दोनो गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके उपरान्त पुनः एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उस कॉच की गिलास के घोल में डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के पर्स से बरामद रिश्वत राशि होने से उसके पर्स के अन्दर रूई के फोये को सोडियमकार्बोनेट के गोल में गिला कर पर्स

के अन्दर जंहा रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान पर गुमाया जाकर रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। जिससे यह प्रतीत होता है रिश्वत की राशि पर्स मे रखी गई थी । उक्त हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क पी.–1 व पी.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के पर्स को बतौर वजह सबूत जब्त किये जाने से उक्त पर्स को कपडे की थैली मे रखकर उक्त कपडे की थैली को सिल्ड कर आरोपी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा ब्यूरो कब्जे लिया गया। इसके उपरान्त रूई के फोये को नष्ट किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त की गई ब्यूरो कार्यालय की नमूना सील को फर्द में अंकित किया गया।

इसके उपरान्त समय करीब 03.15 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक, आरोपी श्री रितेश कुमार जैन के आरोपी के निजी क्लीनीक (निवास) पर बैठने की व्यवस्था नही होने से एंव सुविधाजनक नही होने से मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहन मय आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन के प्राईवेट वाहन से अग्रीम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा रवाना होकर समय 03.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय स्वतान्त्र गवाहन मय आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन के उपरोक्त रवाना शुदा पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा पंहुचा जंहा ड्यूटी ऑफिसर से ट्रेप कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाने के लिये कहा गया तो, थाने के परिसर में बने स्वागत कक्ष उपलब्ध करवाया गया जहां पर अग्रीम कार्यवाही शुरू की गई। इसके उपरान्त समय करीब 03.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.03.2023 को परिवादी श्री वसीम अकरम एवं आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के बीच दिनांक 22.03.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई को कम्प्युटर से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी श्री मान सिहं कानि0 571 से तैयार करवाई गई । मूल सीडी चलाकर उपरोक्त मौतबिरानों तथा परिवादी को सुनाई गई, सी.डी. पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् समय करीब 04.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आज दिंनाक 23.03.2023 को परिवादी श्री वसीम अकरम एवं आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के बीच आज दिंनाक 23.03.2023 को रिश्वत लेन देन वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई को कम्प्युटर से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी श्री मान सिहं कानि0 571 से तैयार करवाई गई । मूल सीडी चलाकर उपरोक्त मौतबिरानों तथा परिवादी को सुनाई गई, सी.डी. पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय करीब 05.05 पी.एम. पर परिवादी श्री वसीम अकरम तथा आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 22.03.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 23.03.2023 को हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर मे उपयोग लिया गया केडीएम कम्पनी का सरकारी मूल मेमोरी कार्ड जो 08 जी.बी का है, उक्त मूल सरकारी मेमोरी कार्ड जिसमे उपरोक्त वार्ताएं रिकॉर्ड है, उक्त मेमोरी कार्ड कागज के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके उपरान्त समय करीब 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल पहुचं कर पृथक से आरोपी की निशांदही से नक्शा मौका तैयार किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब किया गया, जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् समय 06.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन मय आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के निजी क्लिनिक (आवास) किराया का होकर उक्त निजी क्लिनिक (आवास) की खाना तलाशी ली गई। फर्द खाना तलाशी अलग से मूर्तिब किया गया, जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 07.00 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही से डॉ रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत

धारा 7, पी.सी. एक्ट संशोधित (2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित होने से डॉ रितेश कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जी जैन जाति जैन उम्र 48 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04/ख -03 सेक्टर नम्बर 11 उदयपुर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री एंव प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से गूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के पिता श्री भंवर लाल जैन को जरिये मोबाईल, सूचना दी गई। इसके उपरान्त समय करीब 07.30 पी.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही मे जब्त शूदा पर्स जोकी डॉ. रितेश कुमार जैन, वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसुती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ, का होकर बरगं डार्क ब्राउन होकर रिश्वत राशि 4500/- रूपये उक्त पर्स में से बरामद की गई। जिस पर उक्त पर्स को ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत होने से एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके उपरान्त समय 09.00 पी.एम. पर डॉ० कमलेश बाबेल पी.एम.ओ. साहब राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा उपस्थित आये। जिस पर कंमाक स्पेशल 01 दिंनाक 23.03.2023 की पालना में आरोपी डॉ. रितेश कुमार जैन का सेवा विवरण मय रिकार्ड उपलब्ध करवाया एंव कंमाक स्पेशल 02 दिंनाक 23.03.2023 की पालना में परिवादी श्री वसीम अकरम की पत्नि श्रीमती राबिया बी कि डिलेवरी सम्बधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाई । सेनेट्री के पेड के सम्बध में लिखित में बताया की राज्य सरकार द्वारा सप्लाई होने पर निशूल्क उपलब्ध किये जाते है अपवाद स्वरूप उपलब्ध नही होने पर लगभग 50 रूपये में मार्केट से खरीदने पर मिल जाते है। सम्बधित दस्तावेज शामिल कार्यवाही किये गये। इसके पश्चात् समय करीब 09.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय हमराहीयान एवं जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स धोवन की शिशियां सिलचिट शुदा एवं सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 4500रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर एवं आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन को हमराह लेकर प्राईवेट वाहनएवं प्राईवेट मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुए। साथ ही परिवादी श्री वसीम अकरम को रूकसत दी गई । इसके उपरान्त समय करीब 10.40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय हमराहीयान एवं जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स धोवन की शिशियां सिलचिट शुदा एवं सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 4500रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर एवं आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन से रवानाशुदा ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ पहुच समस्त आर्टीकल्स धोवन की शिशियां सिलचिट शुदा एवं सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 4500 रूपये को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना इंचार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि० को सुपुर्द किये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहन को रूखसत किया गया।

इसके पश्चात् समय 11.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन को श्री मान सिहं कानि० एवं श्री सुनिल कुमार कानि० के हमराह के आरोपी का सांवलियाजी, राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात मे दाखिल करवाने हेतु जरिये अलग-अलग तहरीर दी जाकर रवाना किया गया जो दिनांक 24.03.2023 समय करीब 01.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन को श्री मान सिहं कानि० एवं श्री सुनिल कुमार कानि० बाद स्वास्थ परीक्षण एंव आरोपी डॉ. रितेश कुमार जैन को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात मे दाखिल करा हाजिर आये । इसके उपरान्त समय 11.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन को श्री सुनिल कुमार कानि० को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात से लाने हेतु रवाना किया जो समय 11.30 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ रितेश कुमार जैन को श्री सुनिल कुमार कानि० पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात से हमरा लेकर हाजिर आये।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी डॉ. रितेश कुमार जैन वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री वसीम अकरम की पत्नि की डिलेवरी ऑपरेशन द्वारा की गई थी जिसकी एवज में दिनांक 22.03.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 1000 रूपये प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 4500 दिनांक 23.03.2023 लेने हेतु सहमत होना पाया गया था जिस पर दिनांक 23.03.2023 को अपनी मांग अनुसार 4500 रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया । जो कि प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधन) 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है ।

DS

अतः आरोपी डॉ. रितेश कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जी जैन जाति जैन उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर 04/ख–03 सेक्टर नम्बर उदयपुर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(दयालाल चौहान)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौडगढ

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दया लाल चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. रितेश कुमार जैन, वरिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 68/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 542-46 दिनांक 24.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

24.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।